



बिहार सरकार
वित्त विभाग

जेन्डर बजट
2011-12

(मार्च, 2011)

प्राक्कथन

महिलायें राज्य की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है । अभी तक यह माना जाता रहा है कि लोक-व्यय महिला या पुरुष आधारित नहीं (Gender neutral) होते हैं । उनका लाभ पुरुष एवं महिलाओं दोनों को समान रूप से मिलता है । लेकिन अब धीरे धीरे यह बात और सोच सामने आ रही है कि यह सत्य से परे है । महिलाओं से संबंधित सभी विकास संकेतक पुरुषों की तुलना में खराब हैं । अधिकतर मामलों में तो लिंग आधारित आंकड़े एकत्रित भी नहीं किये जाते हैं । बिहार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं ।

बिहार में महिला एवं पुरुष के तुलनात्मक विकास संकेतक		
संकेतक	अद्यतन आँकड़ा	
	पुरुष	महिला
1	2	3
जनसंख्या (करोड़ में)	4.32	3.97
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	61.4	59.5
लिंग अनुपात – सभी आयु वर्ग	1000	919
लिंग अनुपात – (0–4 वर्ष) 0–6 वर्ष	1000	942
मातृत्व मृत्यु दर (प्रति 100000 जीवित जन्म)		312
नामांकन प्रतिशत	77	69
साक्षरता प्रतिशत	59.7	33.1

हमारी सरकार ने इस तथ्य को पहचाना है । राज्य का असली विकास तब तक संभव नहीं हो सकेगा जब तक आधी जनसंख्या विकास में भागीदार नहीं बने । इसलिए राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण कर बिहार को पूरे देश में पहले राज्य का स्थान दिलाया है । महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये कई नई योजनायें भी आरम्भ की गयी हैं ।

सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2008-09 से लिंग आधारित बजटीय व्यवस्था की शुरुआत की गई है । इसी के अंतर्गत लिंग-आधिरित बजट विवरणी प्रस्तुत की जा रही है । साधारण भाषा में इस व्यवस्था में निम्नलिखित मुख्य बिन्दु उल्लेखनीय है :-

- प्रत्येक क्षेत्र को महिलाओं के नजरिये से देखा जाये और तदनुसार बजट में यथासम्भव प्रावधान किये जाये ।
- यह आवश्यक नहीं है कि व्यय महिलाओं के लिये ही किया जाय वरन यह आवश्यक है कि ऐसे व्यय से या कार्यक्रमों से महिलाओं की स्थिति में सुधार होता हो अथवा उनको लाभ पहुंचता हो । उदाहरणार्थ पेयजल, सफाई एवं बच्चों का स्वास्थ्य महिलाओं के लिये सीधे कर्णाकित नहीं है, लेकिन इससे सीधा प्रभाव महिलाओं की स्थिति सुधारने में होता है, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का काफी समय एवं शक्ति इन कार्यों में खर्च होती है ।

वर्ष 2008-09 से जेन्डर बजट की शुरुआत की गई है, जिनमें दस विभागों को इससे आच्छादित किया गया था । वर्ष 2009-10 से दो अन्य विभाग योजना एवं विकास विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को जेन्डर बजट के अंतर्गत रखा गया एवं वर्ष 2010-11 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, वित्तीय वर्ष 2011-12 में जेन्डर बजट के अंतर्गत शामिल विभागों की सूची निम्नवत् है ।

1. समाज कल्याण विभाग ।
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ।
3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।
4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।
5. मानव संसाधन विभाग
6. स्वास्थ्य विभाग ।
7. ग्रामीण विकास विभाग ।
8. नगर विकास एवं आवास विभाग ।
9. पंचायती राज विभाग ।
10. श्रम संसाधन विभाग ।
11. योजना एवं विकास विभाग
12. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ।
13. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।
14. कला, संस्कृति एवं यूवा विभाग ।
15. उद्योग विभाग ।
16. वित्त विभाग ।

इस विवरण में महिलाओं की स्थिति सुधारने वाली योजनाओं के लिये प्रावधानों को दो श्रेणियों में दर्शाया गया । श्रेणी-1 में ऐसी योजनायें हैं जिनमें 100 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं के लाभ लिये है ।

श्रेणी-2 में ऐसी योजनायें हैं जिनमें महिलाओं के लाभ के लिये कुल प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत आवंटन है ।

लिंग आधारित बजट अभी भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है । अभी यह पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं हुआ है । लेकिन धीरे-धीरे इसकी बेहतर समझ होती जा रही है । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गयी है । इसमें उपरोक्त कारणों से कुछ कमियां रह जा सकती है । सरकार द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि तमाम कार्यक्रमों एवं योजनाओं को इस तरह बनाया जाय कि वे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो । इसके लिए इन कार्यक्रमों के उद्देश्यों, क्रियान्वयन संबंधि दिशा निर्देशों, वित्तीय कसौटियों को स्त्रियों के अनुकूल बनाना होगा । इसके अतिरिक्त विभाग में भी योजनाओं को भी अधिक सुक्ष्मता एवं शुद्धता से परखा जायेगा । मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में इसमें उत्तरोत्तर सुधार लाया जा सकेगा ।

संक्षिप्त विवरणी

		2010-11	2011-2012	प्रतिशत परिवर्तन
1	महिलाओं के लिये श्रेणी-1 (100%) योजनाओं में प्रावधान	1650.46	1995.64	20.91
2	महिलाओं के लिए श्रेणी- 2($\geq 30\%$) योजनाओं में प्रावधान	3008.11	4092.48	36.05
3	महिलाओं के लिये कुल प्रावधान	4658.57	6088.12	30.69
4	संबंधित विभागों में कुल प्रावधान	21652.72	27841.55	28.58
5	महिलाओं के लिये प्रावधान (कुल प्रावधान का प्रतिशत)	21.51	21.87	1.66
6	कुल बजट आकार	53758.56	65325.87	21.52
7	महिलाओं के लिये प्रावधान (कुल बजट प्रावधान का प्रतिशत)	8.66	9.32	7.62
8	राज्य सकल घरेलु उत्पाद (रा०स०घ०उ०)	168302.82	211400.00	25.61
9	महिलाओं के लिये प्रावधान (रा०स०घ०उ०)	2.76	2.88	4.34

नोट- कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

जेन्डर बजट 2011-12 – विभागवार विवरणी

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	मांग संख्या	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
			विभाग के बजट में कुल प्रास्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	विभाग के बजट प्राक्कलन की कुल पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	विभाग के बजट में कुल प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	51	समाज कल्याण विभाग	249189.90	67738.74	26191.53	271827.45	70070.56	32137.98	296564.62	75891.66	48584.37
2	44	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	40336.42	10507.12	3982.74	44285.73	11635.18	1562.50	54385.32	14687.70	632.50
3	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	112990.72	7306.18		123059.79	7306.18		73227.06	7214.02	
4	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	36781.62	1060.00	50.00	42907.91	2671.02	50.00	57385.53	2745.00	450.00
5	21	मानव संसाधन विकास विभाग	937972.06	142543.64	24639.51	940948.64	204538.51	24639.51	1097791.19	249231.17	22922.46
6	20	स्वास्थ्य विभाग	209991.69	1052.26	26398.30	211281.72	1052.26	26398.30	272460.67	1585.88	29536.86
7	42	ग्रामीण विकास विभाग	140461.82	10449.99	78000.00	140875.82	4449.99	78000.00	147397.28	15795.00	80706.06
8	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	179078.32	50092.00		135846.35	23199.20	0.00	129078.11	22126.20	0.00
9	16	पंचायती राज विभाग	146568.90	4085.01		133333.78	6019.03	0.00	323288.13	4485.01	0.00
10	26	श्रम संसाधन विभाग	17797.82	1361.90	65.03	17493.28	1336.40	65.03	17943.18	739.77	94.75
11	35	योजना एवं विकास विभाग	40659.72	1800.00	0.00	52815.18	11945.13	0.00	147618.61	11334.60	0.00
12	11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	10193.73	2814.59	517.83	11509.73	3302.87	517.83	10751.79	2934.55	1350.80
13	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	43249.48		5201.27	55801.84	0.00	5201.27	43896.51	0.00	3286.00
14	8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग				9298.52	502.80	0.00	6207.19	404.00	0.00
15	23	उद्योग विभाग	0.00	0.00	0.00	52681.31	162.00	0.00	52261.40	73.43	0.00
16	12	वित्त विभाग				160635.09	0.00	12000.00	53897.95	0.00	12000.00
		कुल : -	2165272.20	300811.43	165046.21	2404602.14	348191.12	180572.42	2784154.54	409247.99	199563.80

* कॉलम 2, 5 एवं 8 में प्रदर्शित कुल योग उपरोक्त 16 विभाग के मांग में कुल प्रावधानित राशि को प्रदर्शित करता है।

जेन्डर बजट 2011-12 - विभागवार विवरणी

गैर योजना

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
		बजट में प्रास्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट में प्रास्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	समाज कल्याण विभाग	186.34	0.00	186.34	227.79	0.00	227.79	200.18	0.00	200.18
2	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	5459.45	2048.20	0.00	6798.55	2200.52	2.50	7757.48	2018.35	2.50
3	मानव संसाधन विकास विभाग	181710.26	80701.69	1039.51	182451.46	80966.56	1039.51	206710.37	84672.17	922.46
4	स्वास्थ्य विभाग	875.90	0.00	875.90	875.90	0.00	875.90	951.95	0.00	951.95
5	पंचायती राज विभाग	4570.02	2285.01	0.00	4570.02	2285.01	0.00	4570.02	2285.01	0.00
6	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	517.83	0.00	517.83	517.83	0.00	517.83	795.80	0.00	795.80
	कुल : -	193319.80	85034.90	2619.58	195441.55	85452.09	2663.53	220985.80	88975.53	2872.89

नोट- कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों को योग है जिन उपशीर्षों में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2010-11 – विभागवार विवरणी
राज्य योजना

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
		बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	समाज कल्याण विभाग	140758.00	33693.52	26005.19	154435.72	36025.34	31910.19	149786.73	37400.19	29176.90
2	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	25431.15	6434.52	3982.74	26770.15	7760.44	900.00	36128.15	10778.44	200.00
3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	24353.94	7306.18		24353.94	7306.18		24048.74	7214.02	
4	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1700.00	1060.00	50.00	2200.00	1210.00	50.00	1600.00	345.00	450.00
5	मानव संसाधन विकास विभाग	137203.00	61841.95	23600.00	144663.00	65571.95	23600.00	260022.00	119059.00	22000.00
6	ग्रामीण विकास विभाग	112722.19	10449.99	78000.00	102722.19	4449.99	78000.00	123356.06	15795.00	80706.06
7	नगर विकास एवं आवास विभाग	110800.00	50092.00		50300.00	23199.20	0.00	43923.00	22126.20	0.00
8	पंचायती राज विभाग	3600.00	1800.00		7468.00	3734.02	0.00	4400.00	2200.00	0.00
9	श्रम संसाधन विभाग	5015.53	1361.90	65.03	4565.53	1336.40	65.03	2653.32	739.77	94.75
10	योजना एवं विकास विभाग	6000.00	1800.00		30737.83	11945.13	0.00	37782.00	11334.60	0.00
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	6791.17	2154.59		8091.17	2642.87	0.00	6606.17	2115.44	185.00
12	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	5201.27		5201.27	5201.27	0.00	5201.27	3286.00	0.00	3286.00
13	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग				1676.00	502.80	0.00	1346.67	404.00	0.00
14	उद्योग विभाग				540.00	162.00	0.00	244.76	73.43	0.00
15	वित्त विभाग				12000.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	12000.00
	कुल : -	579576.25	177994.65	136904.23	575724.80	165846.32	151726.49	707183.60	229585.09	148098.71

नोट- कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपाशीर्षों का योग है जिन उपशीर्षों में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

केन्द्र प्रायोजित योजना

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
		बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	समाज कल्याण विभाग	88023.51	34045.22		88023.51	34045.22	0.00	118369.81	38491.47	19207.29
2	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	3808.00	1274.40		3740.70	924.21	660.00	2733.00	690.90	430.00
3	स्वास्थ्य विभाग	29029.92	1052.26	25522.40	29029.92	1052.26	25522.40	32585.01	1585.88	28584.91
4	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2200.00	660.00		2200.00	660.00	0.00	2828.33	819.11	370.00
5	मानव संसाधन विकास विभाग				116000.00	58000.00	0.00	91000.00	45500.00	0.00
6	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग				3770.06	1131.02	0.00	6000.00	1800.00	0.00
	कुल : -	123061.43	37031.88	25522.40	242764.19	95812.70	26182.40	253516.15	88887.36	48592.20

नोट- कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्षों में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

केन्द्र योजनागत योजना

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
		बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	2500.00	750.00		2500.00	750.00		4000.00	1200.00	
1	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग				1100.00	330.00		2000.00	600.00	
	कुल : —	2500.00	750.00	0.00	3600.00	1080.00	0.00	6000.00	1800.00	0.00

नोट- कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय)

मॉड संख्या :-51

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट प्रावधान की राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	बिहार राज्य महिला आयोग	गैर योजना	2235 02 103 0003	30.00		30.00	30.00		30.00	30.00		30.00
2	अंतर्जातीय विवाह	गैर योजना	2235 02 800 0002	50.00		50.00	50.00		50.00	50.00		50.00
3	राज्य सदन और संरक्षण आश्रय गृह	गैर योजना	2235 02 104 0001	106.34		106.34	147.79		147.79	120.18		120.18
4	महिला विकास निगम	राज्य योजना	2235 02 103 0105	250.00		250.00	250.00		250.00	250.00		250.00
5	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	राज्य योजना	2235 02 103 0110	1000.00		1000.00	1000.00		1000.00	500.00		500.00
			2235 02 789 0108							500.00		500.00
6	मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना	राज्य योजना	2235 02 103 0109	6000.00		6000.00	7000.00		7000.00	4755.00		4755.00
			2235 02 789 0107							2000.00		2000.00
7	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	राज्य योजना	2235 02 103 0111	4200.00		4200.00	4200.00		4200.00	2000.00		2000.00
			2235 02 789 0109							2000.00		2000.00
8	विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारीयों का प्रशिक्षण	राज्य योजना	2235 02 101 0111	10.00	3.00		10.00	3.00		10.00	3.00	
कुल योग				11646.34	3.00	11636.34	12687.79	3.00	12677.79	12215.18	3.00	12205.18

समाज कल्याण विभाग (आई0 सी0 डी0 एस0)

माँग संख्या :-51

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम/ स्थापना का नाम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट प्रावधान की राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	समेकित बाल विकास कार्यक्रम	के०प्रा०यो०	2235 02 102 0602	34818.68	22531.64		34818.68	22531.64		38793.21	25427.50	
2	पूरक पोषाहार योजना	के०प्रा०यो०	2236 02 101 0602	53204.83	11513.58		53204.83	11513.58		60369.31	13063.97	
3	सबला कार्यक्रम	के०प्रा०यो०	2235 02 102 0618							16915.82		16915.82
4	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	के०प्रा०यो०	2235 02 103 0612							2291.47		2291.47
5	कुपोषित गर्भवती/ शिशुवती महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए खाद्यान्नों के वितरण की विशेष योजना (एन०पी०ए०जी०)	राज्य योजना	2236 02 101 0802	1518.00		1518.00	1518.00		1518.00			
6	पूरक पोषाहार (गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलानी वाली माँ के लिए पौष्टिक आहार)	राज्य योजना	2236 02 101 0102	44461.46	11513.58		44461.46	11513.58		23186.96	6956.09	
			2236 02 789 0101							19204.51	5761.35	
7	दुलार रणनीति योजना	राज्य योजना	2235 02 102 0107	1445.18		1445.18	1445.18		1445.18	500.00		500.00
8	सबला कार्यक्रम	राज्य योजना	2235 02 102 0118							700.00		700.00
			2235 02 789 0102							300.00		300.00
9	समेकित बाल विकास योजना (सामान्य स्थापना)	राज्य योजना	2235 02 102 0103	3868.75	2253.16		3868.75	2253.16		4310.36	2510.35	
कुल योग				139316.90	47811.96	2963.18	139316.90	47811.96	2963.18	166571.64	53719.26	20707.29

समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

मॉड संख्या :-51

(राशि लाख में)

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
				बजट प्रावधान की राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य योजना	2235 60 102 0105	6592.01		6592.01	8592.01		8592.01	5762.05		5762.05
			2235 60 789 0102							2004.85		2004.85
2	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य योजना	2235 60 102 0104	2007.00	602.10		3607.00	1082.10		2400.00	720.00	
			2235 60 789 0103							100.00	30.00	
3	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य योजना	2235 60 102 0101	2401.60	720.48		2401.60	720.48		1350.00	405.00	
			2235 60 789 0104							250.00	75.00	
4	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	राज्य योजना	2235 03 101 0101	54504.00	16351.20		60912.00	18273.60		45633.00	13689.90	
			2235 03 789 0101							16500.00	4950.00	
5	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	राज्य योजना	2235 03 101 0103	5000.00		5000.00	7905.00		7905.00	5705.00		5705.00
			2235 03 789 0102							2200.00		2200.00
6	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	राज्य योजना	2235 03 101 0102	500.00	150.00		500.00	150.00		400.00	120.00	
			2235 03 789 0104							100.00	30.00	
7	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	राज्य योजना	2235 03 102 0101	2850.00	855.00		2850.00	855.00		3000.00	900.00	
			2235 03 789 0104							1200.00	360.00	
8	कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना	राज्य योजना	2235 02 800 0104	1600.00	480.00		2600.00	780.00		1177.00	353.10	
			2235 02 789 0104							423.00	126.90	
9	विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियाँ	राज्य योजना	2235 02 101 0102	550.00	165.00		550.00	165.00		450.00	135.00	
			2235 02 789 0105							100.00	30.00	
10	विकलांगों का सर्वेक्षण	राज्य योजना	2235 02 101 0105	80.00	24.00		80.00	24.00		80.00	24.00	
11	मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना	राज्य योजना	2235 02 101 0110	500.00	150.00		500.00	150.00		400.00	120.00	
12	मुख्यमंत्री निःशक्तता ऋण योजना	राज्य योजना	2235 02 101 0103	20.00	6.00		20.00	6.00		20.00	6.00	
13	निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण (मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना एवं ओल्ड ऐज होम)	राज्य योजना	2235 02 101 0106	1050.00	315.00		64.72	19.42		215.00	64.50	
14	परवरिश	राज्य योजना	2235 02 102 0116	50.00	15.00		50.00	15.00		50.00	15.00	
15	सैष्टिक बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना (घरौन्दा)	राज्य योजना	2235 02 106 0105	300.00	90.00		50.00	15.00		50.00	15.00	
कुल योग				78004.61	19923.78	11592.01	90682.33	22255.60	16497.01	89569.90	22169.40	15671.90
महायोग (समाज कल्याण विभाग)				228967.85	67738.74	26191.53	242687.02	70070.56	32137.98	268356.72	75891.66	48584.37

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

मौग संख्या :-44

(राशि लाख में)

अनुसूचित जाति				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट प्रावधान की राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1)	बजट प्रावधान की प्रास्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1)
1	अस्वच्छ कार्य में लगे छात्रवृत्ति 197 ब्लॉक पंचायत	गैर योजना	2225 01 197 0001	10.00	3.00		10.00	3.00		10.00	3.00	
2	छात्रवृत्ति/वाजीफा	गैर योजना	2225 01 197 0002	10.00	3.00		10.00	3.00		10.00	3.00	
3	अस्वच्छ कार्य में लगे छात्रवृत्ति 198 ग्राम पंचायत	गैर योजना	2225 01 198 0001	25.00	7.50		25.00	7.50		25.00	7.50	
4	मुसहर छात्रवृत्ति 198 ग्राम पंचायत	गैर योजना	2225 01 198 0003	50.00	15.00		50.00	15.00		50.00	15.00	
5	अस्वच्छ कार्य में लगे छात्रवृत्ति 277 शिक्षा	गैर योजना	2225 01 277 0007	525.00	157.50		525.00	157.50		25.00	7.50	
6	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति 277 शिक्षा	गैर योजना	2225 01 277 0007				500.00	150.00		500.00	150.00	
7	आवासीय विद्यालय	गैर योजना	2225 01 277 0003	4103.61	1641.45		4103.61	1641.45		5203.64	1561.09	
8	छात्रावास संधारण	गैर योजना	2225 01 277 0002	358.80	107.64		358.80	107.64		462.51	138.75	
9	पुस्तक अधिकोष की स्थापना	गैर योजना	2225 01 277 0008	8.00	2.40		8.00	2.40		8.00	2.40	
10	नागरिक सुरक्षा अधिनियम	गैर योजना	2225 01 277 0009				0.10	0.03		0.10	0.03	
11	छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां	गैर योजना	2225 01 277 0011	130.00	39.00		130.00	39.00		130.00	39.00	
12	प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	गैर योजना	2225 01 277 0012	96.98	29.09		96.98	29.09		141.49	42.45	
13	वैधिक सहायता	गैर योजना	2225 01 800 0004	1.00	0.30		1.00	0.30		1.00	0.30	
14	अनु०जाति के खानाबदोश जातियों का कल्याण	गैर योजना	2225 01 800 0005	10.23	3.07		10.23	3.07		0.00	0.00	
15	प्रदर्शनी,सेमीनार एवं पोस्टर	राज्य योजना	2225 01 001 0101	141.00	42.30		141.00	42.30		41.00	12.30	
16	परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना-5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	राज्य योजना	2225 01 102 0101	100.00	30.00		100.00	30.00		100.00	30.00	

17	महादलित विकास हेतु	राज्य योजना	2225 01 102 0115	9200.00	2760.00		9100.00	2730.00		9800.00	2940.00	
18	छात्रवृत्ति(197 ब्लॉक पंचायत)	राज्य योजना	2225 01 197 0101	1963.41	589.02		1963.41	589.02		5000.00	1500.00	
19	छात्रवृत्ति(277 शिक्षा)	राज्य योजना	2225 01 277 0107	3282.74		3282.74	3042.74	912.82		5346.44	1603.93	
20	छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण	राज्य योजना	2225 01 277 0101							215.00	64.50	
21	अनु0जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण 50:50	राज्य योजना	2225 01 277 0107				40.00	12.00		100.00	30.00	
22	छात्रवृत्ति(198 ब्लॉक पंचायत)	राज्य योजना	2225 01 198 0101	6000.00	1800.00		6000.00	1800.00		10536.71	3161.01	
23	अनुसूचित जाति बालिकाओं को पोशाक-277 शिक्षा	राज्य योजना	2225 01 277 0107				200.00		200.00	200.00		200.00
24	आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं अन्य भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	राज्य योजना	4225 01 051 0101	1275.00	382.50		905.00	271.50		900.00	270.00	
25	अजाविनि-हिस्सा पूंजी	राज्य योजना	4425 01 108 0164				100.00	30.00		100.00	30.00	
26	महादलित प्रशिक्षण आंगनबाड़ हेतु	राज्य योजना	4225 01 800 0101	700.00		700.00	700.00		700.00			
27	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	के०प्रा०यो०	2225 01 277 0613	1500.00	450.00		2892.70	867.81		2000.00	600.00	
28	मेरिट उन्नयन	के०प्रा०यो०	2225 01 277 0609	25.00	7.50		25.00	7.50		60.00	18.00	
29	अस्वच्छ कार्य	के०प्रा०यो०	2225 01 277 0606	20.00	6.00		20.00	6.00		20.00	6.00	
30	अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास भवन का निर्माण	के०प्रा०यो०	4225 01 277 0601	660.00	330.00		660.00		660.00	430.00		430.00
31	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	के०प्रा०यो०	2225 01 277 0613	1500.00	450.00							
32	अनु0जाति, जनजाति अत्याचार निवारण	के०प्रा०यो०	2225 01 277 0611				40.00	12.00		100.00	30.00	
33	अनुसूचित जाति का बहुमुखी विकास	के०यो०यो०	2225 01 793 0401	2500.00	750.00		2500.00	750.00		4000.00	1200.00	
कुल योग				34195.77	9606.27	3982.74	34258.57	10219.93	1560.00	45515.89	13465.77	630.00

अनुसूचित जन-जाति											
1	अनु० आदिम जाति पर अत्याचार	गैर योजना	2225 02 277 0001	3.00	0.90		3.00	0.90		3.00	0.90
2	पुस्तक अधिकोष की स्थापना	गैर योजना	2225 02 277 0001	3.00	0.90		3.00	0.90		3.00	0.90
3	पोशाक की आपूर्ति	गैर योजना	2225 02 277 0001	2.50	0.75		2.50		2.50	2.50	2.50
4	परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	गैर योजना	2225 02 277 0001	5.00	1.50		5.00	1.50		5.00	1.50
5	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति 277 शिक्षा	गैर योजना	2225 02 277 0001	20.00	6.00		20.00	6.00		20.00	6.00
6	आवासीय विद्यालय संधारण	गैर योजना	2225 02 277 0004				828.85			1027.50	
7	प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र	गैर योजना	2225 02 277 0005				10.15	3.05		12.95	4.00
8	लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	गैर योजना	2225 02 277 0003	21.75	6.53		21.75	6.53		28.58	8.57
9	आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संधारण	गैर योजना	2225 02 282 0001	40.58	12.17		40.58	12.17		47.90	14.37
10	खड़िया एवं अन्य आदिम जातियों का कल्याण	गैर योजना	2225 02 800 0001	35.00	10.50		35.00	10.50		40.31	12.09
11	धारा 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से सहायता	राज्य योजना	2225 02 102 0101	277.00	83.10		838.00	251.40		959.00	276.60
12	विशेष केन्द्रीय सहायता	राज्य योजना	2225 02 102 0102	605.00	181.50		929.00	278.70		1060.00	306.60
13	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति 197 ब्लॉक/पंचायत	राज्य योजना	2225 02 197 0101	210.00	63.00		210.00	63.00		375.00	135.00
14	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति 277 शिक्षा	राज्य योजना	2225 02 277 0101	315.00	94.50		312.00	93.60		572.00	171.60
15	थरुहट क्षेत्र विकास	राज्य योजना	2225 02 796 0125	822.00	246.60		822.00	246.00			
16	प्रा० एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति 198 ग्राम पंचायत	राज्य योजना	2225 02 198 0101	430.00	129.00		430.00	129.00		540.00	162.00
17	शोध कार्य	राज्य योजना	2225 02 800 0101		0.00		5.00	1.50		20.00	6.00
18	थरुहट क्षेत्र विकास	राज्य योजना	2225 02 796 0125				822.00	246.60		210.00	63.00
19	कोचिंग एण्ड एलाईड 50:50	राज्य योजना	2225 02 277 0101							3.00	0.90
20	आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	राज्य योजना	4225 02 277 0101	110.00	33.00		110.00	33.00		50.00	15.00
21	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	के०प्रा०यो०	2225 02 277 0607	100.00	30.00		100.00	30.00		120.00	36.00
22	प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	के०प्रा०यो०	2225 02 277 0603	3.00	0.90		3.00	0.90		3.00	0.90
	कुल योग			3002.83	900.85	0.00	5550.83	1415.24	2.50	5102.74	1221.93
	महायोग			37198.60	10507.12	3982.74	39809.40	11635.18	1562.50	50618.63	14687.70
										632.50	

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

मॉड संख्या :-36

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट प्रावधान की राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	ग्रामीण पाईप/ट्यूबेल जलापूर्ति योजना	राज्य योजना	4215 01 102 0101	3520.00	1056.00		3520.00	1056.00		1069.92	320.98	
			4215 01 789 0102						300.00	90.00		
			4215 01 796 0107						20.00	6.00		
2	बीस हजार तक आबादी वाले ग्राम क्षेत्र/उपनगरों में पाईप द्वारा जलापूर्ति	राज्य योजना	4215 01 102 0102	330.00	99.00		330.00	99.00		68.00	20.40	
			4215 01 789 0110						30.00	9.00		
			4215 01 796 0114						2.00	0.60		
3	भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन-वाटर हारवेस्टिंग	राज्य योजना	4215 01 102 0115	250.00	75.00		250.00	75.00		35.00	10.50	
			4215 01 789 0103						14.00	4.20		
			4215 01 796 0108						1.00	0.30		
4	भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन-वाटर हारवेस्टिंग		4215 01 102 0112	50.00	15.00		50.00	15.00		50.00	15.00	
5	नबार्ड ऋण से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संरचना का विकास	राज्य योजना	4215 01 102 0116	4950.00	1485.00		4950.00	1485.00		3795.00	1138.50	
			4215 01 789 0104						1400.00	420.00		
			4215 01 796 0109						250.00	75.00		
6	भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित /जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों में नलकूप का निर्माण	राज्य योजना	4215 01 102 0117	900.00	270.00		900.00	270.00		1020.00	306.00	
			4215 01 789 0105						450.00	135.00		
			4215 01 796 0110						30.00	9.00		
7	प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	राज्य योजना	4215 01 102 0118	4553.94	1366.18		4553.94	1366.18		2483.82	745.15	
			4215 01 789 0106						1000.00	300.00		
			4215 01 796 0111						70.00	21.00		
8	भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित/जल	राज्य योजना	4215 01 102 0120	5000.00	1500.00		5000.00	1500.00		4810.00	1443.00	
			4215 01 789 0108						1950.00	585.00		
9	अर्द्ध शहरी/शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की व्यवस्था	राज्य योजना	4215 01 102 0121	100.00	30.00		100.00	30.00		70.00	21.00	
			4215 01 789 0109						28.00	8.40		
			4215 01 796 0113						2.00	0.60		
10	ग्रामीण स्वच्छता	राज्य योजना	4215 02 106 0101	4400.00	1320.00		4400.00	1320.00		3327.00	998.10	
			4215 02 789 0101						1550.00	465.00		
			4215 02 796 0115						123.00	36.90		
11	शहरी क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	राज्य योजना	4215 02 106 0104	300.00	90.00		300.00	90.00		69.99	21.00	
			4215 02 789 0102						28.01	8.40		
			4215 2 796 116						2.00	0.60		
कुल योग				24353.94	7306.18		24353.94	7306.18		24048.74	7214.02	

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मॉड संख्या : - 30

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट प्रावधान की राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	परियोजना/कार्यक्रम/ स्थापना का नाम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष									
1	मुस्लिम परित्यक्ता महिला को सहायता की योजना	राज्य योजना	2250 00 800 0109	50.00		50.00	50.00		50.00	50.00		50.00
2	अल्पसंख्यक छात्रों/ छात्राओं को लो0से0आ0 की तैयारी हेतु कोचिंग	राज्य योजना	2250 00 800 0106	100.00	30.00		100.00	30.00		50.00	15.00	
3	कॉलेज में पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों/ छात्राओं को छात्रवृत्ति	राज्य योजना	2250 00 800 0105	100.00	30.00		100.00	30.00		100.00	30.00	
4	अल्पसंख्यक छात्रों/ छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना	राज्य योजना	4225 80 800 0101	1450.00	1000.00	0.00	1450.00	1000.00		400.00		400.00
5	अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना	राज्य योजना	2202 02 107 0103				500.00	150.00		1000.00	300.00	
6	अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं के पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना	के0प्रा0 योजना	2202 02 107 0603				2770.06	831.02		3500.00	1050.00	
7	अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं को माध्यमिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	के0प्रा0 योजना	2202 03 107 0603				1000.00	300.00		2500.00	750.00	
8	अल्पसंख्यक छात्रों/ छात्राओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्य हेतु छात्रवृत्ति योजना	के0यो0 योजना	2202 03 107 0402				1100.00	330.00		2000.00	600.00	
कुल योग				1700.00	1060.00	50.00	7070.06	2671.02	50.00	9600.00	2745.00	450.00

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

मॉड संख्या :-36

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट प्रावधान की राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	ग्रामीण पाईप/ट्यूबवेल जलापूर्ति योजना	राज्य योजना	4215 01 102 0101	3520.00	1056.00		3520.00	1056.00		1069.92	320.98	
			4215 01 789 0102					300.00	90.00			
			4215 01 796 0107					20.00	6.00			
2	बीस हजार तक आबादी वाले ग्राम क्षेत्र/उपनगरों में पाईप द्वारा जलापूर्ति	राज्य योजना	4215 01 102 0102	330.00	99.00		330.00	99.00		68.00	20.40	
			4215 01 789 0110					30.00	9.00			
			4215 01 796 0114					2.00	0.60			
3	भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन-वाटर हारवेस्टिंग	राज्य योजना	4215 01 102 0115	250.00	75.00		250.00	75.00		35.00	10.50	
			4215 01 789 0103					14.00	4.20			
			4215 01 796 0108					1.00	0.30			
4	भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन-वाटर हारवेस्टिंग		4215 01 102 0112	50.00	15.00		50.00	15.00		50.00	15.00	
5	नबार्ड ऋण से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संरचना का विकास	राज्य योजना	4215 01 102 0116	4950.00	1485.00		4950.00	1485.00		3795.00	1138.50	
			4215 01 789 0104					1400.00	420.00			
			4215 01 796 0109					250.00	75.00			
6	भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित /जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों में नलकूप का निर्माण	राज्य योजना	4215 01 102 0117	900.00	270.00		900.00	270.00		1020.00	306.00	
			4215 01 789 0105					450.00	135.00			
			4215 01 796 0110					30.00	9.00			
7	प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	राज्य योजना	4215 01 102 0118	4553.94	1366.18		4553.94	1366.18		2483.82	745.15	
			4215 01 789 0106					1000.00	300.00			
			4215 01 796 0111					70.00	21.00			
8	भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित/जल	राज्य योजना	4215 01 102 0120	5000.00	1500.00		5000.00	1500.00		4810.00	1443.00	
			4215 01 789 0108					1950.00	585.00			
9	अर्द्ध शहरी/शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की व्यवस्था	राज्य योजना	4215 01 102 0121	100.00	30.00		100.00	30.00		70.00	21.00	
			4215 01 789 0109					28.00	8.40			
			4215 01 796 0113					2.00	0.60			
10	ग्रामीण स्वच्छता	राज्य योजना	4215 02 106 0101	4400.00	1320.00		4400.00	1320.00		3327.00	998.10	
			4215 02 789 0101					1550.00	465.00			
			4215 02 796 0115					123.00	36.90			
11	शहरी क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	राज्य योजना	4215 02 106 0104	300.00	90.00		300.00	90.00		69.99	21.00	
			4215 02 789 0102					28.01	8.40			
			4215 2 796 116					2.00	0.60			
कुल योग				24353.94	7306.18		24353.94	7306.18		24048.74	7214.02	

मानव संसाधन विकास विभाग

मॉड संख्या :-21

प्राथमिक शिक्षा

(राशि लाख में)

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
				बजट प्रावधान की राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्रावधान की प्रास्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	नगर शिक्षकों को समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 01 191 0001	738.00	480.00		738.00	480.00		738.00	480.00	
2	नगर शिक्षकों को समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 01 192 0001	350.00	227.50		350.00	227.50		350.00	227.50	
3	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 01 193 0001	751.68	408.60		751.68	408.60		751.68	408.60	
4	प्रखण्ड एवं शारीरिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 01 197 0002	16715.00	10864.75		16715.00	10864.75		16715.00	10864.75	
5	पंचायत शिक्षकों को समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 01 198 0002	35075.20	22798.75		35075.20	22798.75		35075.20	22798.75	
6	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों को खेलकूद हेतु	गैर योजना	2202 01 800 0008	0.02	0.01		0.02	0.01				
7	म0वि0 के छात्रों का परिभ्रमण	गैर योजना	2202 01 800 0013 2202 01 109 0003				1436.76	718.38		1436.76	718.38	
8	औजार योजना	राज्य योजना	2202 01 101 0111 2202 01 789 0101	600.00		600.00	600.00		600.00	600.00		600.00
9	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	राज्य योजना	2202 02 109 0107 2202 02 789 0103	33603.00	21841.95		33603.00	21841.95		22733.37	11366.69	
10	सर्व शिक्षा अभियान	राज्य योजना	2202 01 111 0101 2202 01 789 0104	80000.00	40000.00		80000.00	40000.00		94192.63	47096.32	
11	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	राज्य योजना	2202 01 109 0101 2202 02 107 0107	13200.00		13200.00	13200.00		13200.00			
12	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	राज्य योजना	2202 02 800 0108 2202 02 107 0106 2202 02 789 0102	9800.00		9800.00	9800.00		9800.00			
13	बिहार बाल भवन के अनुदान	राज्य योजना	2202 01 0001 0107							150.00	135.00	
14	विद्यालय में मध्याह्न भोजन	राज्य योजना	2202 01 112 0101 2202 01 789 0104							25200.00	12600.00	
15	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	राज्य योजना	2202 01 109 0101 2202 01 789 0102							10600.00	5300.00	
16	मुख्यमंत्री बालिका प्रेताह्न योजना	राज्य योजना	2202 02 107 0108							5400.00		5400.00
17	आई0सी0टी0 परियोजना	राज्य योजना	2202 02 109 0105				334.00	167.00		334.00	167.00	
18	प्रौढ़ शिक्षा	राज्य योजना	2202 04 200 0102							1000.00	950.00	
19	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	के0प्रा0यो0	2202 01 101 0601				115000.00	57500.00		90000.00	45000.00	
20	आई0सी0टी0 परियोजना	के0प्रा0यो0	2202 02 109 0605				1000.00	500.00		1000.00	500.00	
कुल योग				190832.9	96621.556	23600	308603.66	155506.936	23600	398188.64	196568.98	22000

माध्यमिक शिक्षा												
21	निरीक्षिका स्थापना	गैर योजना	2202 02 101 0001	572.87		572.87	572.87		572.87	475.26		475.26
22	नगर मा०शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 02 191 0001	1287.72	837.00		976.84	634.95		800.84	400.40	
23	नगर मो० शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 02 192 0001	1172.64	761.10		1172.64	762.22		978.34	489.17	
24	जिला परिषदों मा० शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 02 196 0001	12490.80	8119.80		12101.12	7865.73		12101.00	6050.50	
25	नगर मा० शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 02 193 0001	922.32	645.00		922.32	645.00		1060.90	530.45	
26	नगर उ०मा०शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 02 191 0002	1191.36	774.15		1191.36	774.15		814.80	407.40	
27	नगर पंचायत उ० मा० शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 02 193 0002	312.96	203.42		312.96	203.42		355.02	177.51	
28	जिला परिषदों उ० मा० शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 02 196 0002	4392.96	2855.40		4392.96	2855.40		2979.84	1489.92	
29	नगर पालिकाओं/ नगर परिषद उ० मा० शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 02 192 0002	414.72	269.60		414.72	269.60		698.40	349.20	
30	राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	राज्य योजना	2202 03 102 0115				7126.00	3563.00		4820.00	2410.00	
			2202 03 789 0101							3080.00	1078.00	
	योग -			22758.35	14465.47	572.87	29183.79	17573.46	572.87	28164.40	13382.55	475.26

उच्च शिक्षा											
31	राजकीय महिला महाविद्यालय / गुलजारबाग, पटना	गैर योजना	2202 03 103 0003	466.64		466.64	466.64		466.64	447.20	447.20
32	पटना विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202 03 102 0001	7278.53	2183.56		7278.53	2183.56		9098.16	2729.45
33	मगध विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202 03 102 0002	27333.80	8200.14		27333.80	8200.14		34167.25	10250.18
34	बाना साहेब भीम राव अम्बेदकर विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202 03 102 0003	14582.22	4374.67		14582.22	4374.67		18227.78	5468.33
35	जय प्रकाश विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202 03 102 0004	6380.96	1914.29		6380.96	1914.29		7976.20	2392.86
36	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202 03 102 0005	7308.45	2192.54		7308.45	2192.54		9135.56	2740.67
37	बी० एन० मंडल विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202 03 102 0008	8859.49	2657.85		8859.49	2657.85		11074.36	3322.31
38	भागलपुर विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202 03 102 0009	13912.44	4173.73		13912.44	4173.73		17390.55	5217.17
39	ललित ना० मिथिला विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202 03 102 0011	14921.69	4476.51		14921.69	4476.51		18652.11	5595.63
40	कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202 03 102 0012	3474.45	1042.34		3474.45	1042.34		4343.06	1302.92
41	जन शिक्षा निदेशालय	गैर योजना	2202 04 001 0002	133.57	40.07		138.57	41.57		156.79	47.04
42	जिला जन शिक्षा कार्यालय	गैर योजना	2202 04 200 0001	669.77	200.93		669.77	200.93		710.31	213.09
	योग —			105322.01	31456.61	466.64	105327.01	31458.11	466.64	131379.33	39279.64
	महायोग—			318913.26	142543.64	24639.51	443114.46	204538.51	24639.51	557732.37	249231.17
											22922.46

स्वास्थ्य विभाग

माँग संख्या :-20

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट प्रावधान की राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य	गैर योजना	2211 00 103 0001	268.79		268.79	268.79		268.79	334.91		334.91
2	नर्स प्रशिक्षण	गैर योजना	2210 05 105 0012	534.92		534.92	534.92		534.92	524.58		524.58
3	महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय	गैर योजना	2210 05 105 0011	72.19		72.19	72.19		72.19	92.46		92.46
4	ए०एन०एम०/ एल० एच० भी० का स्थापना व्यय	के०प्रा०यो०	2211 00 101 0602	25522.40		25522.40	25522.40		25522.40	28584.91		28584.91
5	ए०एन०एम०/ एल० एच० भी० का प्रशिक्षण हेतु	के०प्रा०यो०	2211 00 003 0604	1097.54	329.26		1097.54	329.26		1242.52	735.55	
6	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	के०प्रा०यो०	2211 00 102 0601	218.66	65.60		218.66	65.60		250.97	98.35	
7	तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण, जिला कल्याण ब्यूरो	के०प्रा०यो०	2211 00 001 0603	2191.32	657.40		2191.32	657.40		2506.61	751.98	
कुल योग				29905.82	1052.26	26398.30	29905.82	1052.26	26398.30	33536.96	1585.88	29536.86

ग्रामीण विकास विभाग

माँग संख्या :-42

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट प्रावधान की राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	रा0ग्रा0रो0ग्रा0 योजना	राज्य योजना	2505 60 796 0101							500.00	150.00	
			2505 60 789 0101							12500.00	3750.00	
			2505 60 105 0102	24722.19	4449.99		24722.19	4449.99		19650.00	5895.00	
2	स्वर्णजयंती ग्रा0 स्वरोजगार योजना	राज्य योजना	2501 06 796 0101							115.10	69.06	
			2501 06 789 0101							6000.00	3600.00	
			2501 06 101 0101	10000.00	6000.00		0.00	0.00		3884.90	2330.94	
3	वास विहिन बी0पी0एल0 परिवारों को वास स्थल हेतु भूमि उपलब्ध करना	राज्य योजना	2216 03 796 0101							53.34		53.34
			2216 03 789 0101							853.40		853.40
			2216 03 105 0103							4426.96		4426.96
4	इंदिरा आवास योजना	राज्य योजना	2216 03 796 0102							1339.60		1339.60
			2216 03 789 0102							18573.30		18573.30
			2216 03 105 0102	78000.00		78000.00	78000.00		78000.00	55459.46		55459.46
कुल योग				112722.19	10449.99	78000.00	102722.19	4449.99	78000.00	123356.06	15795.00	80706.06

नगर विकास एवं आवास विभाग

माँग संख्या :-48

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट प्रावधान की राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	राज्य योजना	2217 80 800 0115	640.00	512.00		640.00	19.20		210.00	63.00	
			2217 80 789 0101							430.00	129.00	
2	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना	राज्य योजना	2217 80 800 0122	90000.00	36000.00		22500.00	9000.00		11173.00	4469.20	
			2217 80 789 0103							12000.00	4800.00	
3	समेकित आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	राज्य योजना	2217 80 800 0123	15000.00	12000.00		12000.00	9600.00		1200.00	960.00	
			2217 80 789 0104							12000.00	9600.00	
4	मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना	राज्य योजना	2217 80 800 0124	5000.00	1500.00		15000.00	4500.00		5862.50	1758.75	
			2217 80 796 0111							887.50	266.25	
5	नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	राज्य योजना	2217 80 191 0114	35.00	17.50		35.00	17.50		35.00	17.50	
6	नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	राज्य योजना	2217 80 192 0107	60.00	30.00		60.00	30.00		60.00	30.00	
7	नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	राज्य योजना	2217 80 193 0106	65.00	32.50		65.00	32.50		65.00	32.50	
	कुल योग			110800.00	50092.00	0.00	50300.00	23199.20	0.00	43923.00	22126.20	0.00

पंचायती राज विभाग

माँग संख्या :-16

(राशि लाख में)

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
				बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव को संविदा राशि का भुगतान	शेर योजना	2515 00 800 0012	4570.02	2285.01		4570.02	2285.01		0.00	0.00	
			2515 00 198 0010							4570.02	2285.01	
2	जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515 00 196 0106				41.87	20.94		8.40	4.20	
3	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515 00 197 0103				298.25	149.13		75.60	37.80	
4	ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515 00 198 0105				1809.29	904.65		238.00	119.00	
5	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515 00 198 0106				1850.59	925.30		238.00	119.00	
6	जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515 00 789 0106							3.60	1.80	
7	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515 00 789 0105							32.40	16.20	
8	ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515 00 789 0103							102.00	51.00	
9	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515 00 789 0104							102.00	51.00	
10	बी०आर०जी०एफ० कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	राज्य योजना	2515 00 800 0113	3600.00	1800.00		3468.00	1734.00		0.00	0.00	
11	बी०आर०जी०एफ० कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	राज्य योजना	2515 00 101 0111							3600.00	1800.00	
कुल योग				8170.02	4085.01	0.00	12038.02	6019.03	0.00	8970.02	4485.01	0.00

श्रम संसाधन विभाग

माँग संख्या :-26

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	राज्य योजना	2230 03 003 0112	5.00		5.00	5.00		5.00	5.00		5.00
2	नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना ।	राज्य योजना	2230 03 101 0101	60.03		60.03	60.03		60.03	40.00		40.00
3	ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन	राज्य योजना	2230 01 103 0101	23.00	6.90		23.00	6.90		23.00	6.90	
			2230 01 789 0101							9.57	2.87	
4	बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण	राज्य योजना	2230 01 103 0103	60.00	7.00		60.00	7.00		116.00	7.00	
5	बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु	राज्य योजना	2230 01 109 0101	25.00	7.00		25.00	7.00		40.00	12.00	
6	अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	राज्य योजना	2230 01 114 0102	67.50	16.00		167.50	48.00		85.00	25.50	
			2230 01 789 0103							35.00	10.50	
7	आम आदमी बीमा योजना	राज्य योजना	2235 60 800 0103	1275.00	275.00		1225.00	367.50		36.50	10.95	
			2235 60 789 0101							13.50	4.05	
8	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	राज्य योजना	2235 60 800 0104	3500.00	1050.00		3000.00	900.00		2200.00	660.00	
9	गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलाने वाली माँ के लिए पौष्टिक आहार वितरण योजना	राज्य योजना	2235 02 789 0101							49.75		49.75
कुल योग				5015.53	1361.90	65.03	4565.53	1336.40	65.03	2653.32	739.77	94.75

योजना एवं विकास विभाग

मॉड संख्या :-35

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	मुख्यमंत्री जिला विकास योजना	राज्य योजना	2053 00 800 0105	6000.00	1800.00		6000.00	1800.00		0.00		
2	आपातकालिन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना	राज्य योजना	2235 01 202 0105				22237.83	8895.13		32782.00	9834.60	
3	आपातकालिन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत जीविका परियोजना	राज्य योजना	2235 01 202 0106				2500.00	1250.00		5000.00	1500.00	
कुल योग				6000.00	1800.00	0.00	30737.83	11945.13	0.00	37782.00	11334.60	0.00

पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

माँग संख्या :-11

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	छात्राओं के लिए छात्रावास (50:50)	राज्य योजना	2225 03 277 0108	0.00		0.00	0.00	0.00		185.00		185.00
2	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत)	राज्य योजना	2225 03 197 0101	525.00	175.00		525.00	175.00		525.00	175.00	
3	प्राथ० एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत)	राज्य योजना	2225 03 198 0101	975.00	325.00		975.00	325.00		975.00	325.00	
4	शिक्षा	राज्य योजना	2225 03 277 0101	4217.40	1332.46		5517.40	1820.74		4636.17	1529.94	
5	पिछड़े वर्गों का कल्याण	राज्य योजना	4225 03 277 0101	1073.77	322.13		1073.77	322.13		285.00	85.50	
6	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत)	के०प्रा० योजना	2225 03 277 0601	2000.00	600.00		2000.00	600.00		2200.00	733.00	
7	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (50:50)	के०प्रा० योजना	2225 03 277 0602	200.00	60.00		200.00	60.00		258.33	86.11	
8	छात्राओं के लिए छात्रावास (50:50)	के०प्रा० योजना	2225 03 277 0606				0.00	0.00		185.00		185.00
9	छात्राओं के लिए छात्रावास	के०प्रा० योजना	2225 03 277 0607				0.00	0.00		185.00		185.00
10	बारह अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या उच्च विद्यालय का संधारण	गैर योजना	2225 03 277 0010	517.83		517.83	517.83		517.83	795.80		795.80
कुल योग				9509.00	2814.59	517.83	10809.00	3302.87	517.83	10230.30	2934.55	1350.80

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

माँग संख्या :-40

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट प्रावधान की राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	भूमि अर्जन हेतु (वास रहित महादलित परिवार को 3 डीसमल रैयाती भूमि का कय)	राज्य योजना	4047 00 050 0103	5201.27		5201.27	5201.27		5201.27	0.00		0.00
			4047 00 789 0101				0.00		0.00	3286.00		3286.00
कुल योग				5201.27	0.00	5201.27	5201.27	0.00	5201.27	3286.00	0.00	3286.00

कला संस्कृति एवं यूवा विभाग

माँग संख्या :-8

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	खेल कूद एवं यूवा सेवाएँ	राज्य योजना	2204 00 104 0102				1213.00	363.90		510.20	153.06	
			2204 00 789 0101				0.00	0.00		313.47	94.04	
2	कला एवं संस्कृति	राज्य योजना	2205 00 102 0101				463.00	138.90		271.80	81.54	
			2205 00 789 0101				0.00	0.00		251.20	75.36	
कुल योग				0.00	0.00	0.00	1676.00	502.80	0.00	1346.67	404.00	0.00

उद्योग विभाग

माँग संख्या :-23

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	हस्तशिल्प का विकास	राज्य योजना	2851 00 104 0101 (2601)				540.00	162.00		244.76	73.43	
कुल योग				0.00	0.00	0.00	540.00	162.00	0.00	244.76	73.43	0.00

वित्त विभाग

माँग संख्या :-12

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2010-11 में			वित्तीय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट में प्रस्तावित राशि	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना	राज्य योजना	2501 01 800 0103				12000.00		12000.00			
			2515 00 102 0114						9600.00		9600.00	
			2515 00 789 0101						2400.00		2400.00	
कुल योग				0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	12000.00

महिलाओं एवं बच्चों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

1. **महिला विकास निगम** :- महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महिला विकास निगम, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार, उद्यमिता प्रोत्साहन, आयवर्द्धक गतिविधियाँ, स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण, सरकारी अथवा गैर-सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव, नेतृत्व विकास, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता अभिवृद्धि, बैंको से जुड़ाव एवं आधारभूत संरचना के निर्माण आदि कार्य कर रही है।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

2. **नारी शक्ति योजना** :- “नारी शक्ति योजना” के अंतर्गत महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं नवाचारी योजना के निमित्त विभिन्न योजनाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें अनैतिक पणन (Trafficking) एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजना बनायी गयी है, यथा-संरक्षण गृह, अल्पावास गृह, पालनाघर, बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केन्द्र तथा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण आदि।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

3. **राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना** :- इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त रुपये 500/- की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार के 19 वर्ष या इससे अधिक आयु की पहले दो जीवित बच्चों तक की गर्भवती महिलायें प्राप्त कर सकती हैं।

(समाज कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0))

4. **जननी एवं बाल सुरक्षा योजना** :- इस योजना के अन्तर्गत अस्पताल में बच्चे का जन्म होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 1400/- एवं शहरी क्षेत्रों में रुपये 1000/- का भुगतान संबंधित अस्पताल द्वारा दिया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग)

5. **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना** :- “कन्या विवाह” योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा को रोकना है। इस योजना के तहत, कन्या को विवाह के समय 5000/- (पाँच हजार) रुपये का भुगतान कन्या के नाम चेक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना है। इस योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के वैसे परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय रु0 60,000/- तक हो।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

6. **कन्या सुरक्षा योजना** :- इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात को बढ़ावा देना एवं जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का लाभ 22.11.2007 के पश्चात जन्म लेने वाली एक परिवार के मात्र दो कन्या संतानों तक के लिए देय होगा। योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वैसे परिवारों को देय होगा जिन्होंने जन्म का विधिवत निबंधन एक वर्ष के अन्दर कराया हो। इस योजना के लाभार्थी की आयु सीमा 0 से 3 वर्ष होनी चाहिए।

इस योजना के तहत कन्या को जन्म के समय मात्र 2000/- (दो हजार) रुपये की राशि प्रति कन्या एक मुश्त अनुदान के रूप में यू०टी०आई० के चिल्ड्रेन कैरियर वेलैन्सड प्लान अथवा कन्या सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा निर्धारित फंड में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है। कन्या के 18 वर्ष पुरा होने के बाद उस प्रमाण पत्र के परिपक्वता मूल्य के समतुल्य राशि उपलब्ध करायी जाती है।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

7. **मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना** :- राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों के वर्ग-III से V तक के सभी छात्राओं को प्रति छात्रा 500/- रु0 (पाँच सौ) पोशाक हेतु नगद दिया जाता है तथा राज्य के माध्यमिक विद्यालय के वर्ग-VI से VIII में नामांकित तथा उपस्थित होने वाली प्रत्येक बालिका को 700/- (सात सौ) रुपये एवं वर्ग-IX से XII तक के छात्राओं को प्रति छात्रा 1000/- रु0 पोशाक के लिए नगद राशि दिया जाता है। बालिका शिक्षा को उच्च प्राथमिक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है।

इस योजना का उद्देश्य कक्षा में छात्राओं का नामांकन, विद्यालय में बनाये रखना, छीजन रोकना, शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, लिंग भेद कम करना, शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना, शैक्षणिक समता का निर्माण तथा महिला सशक्तिकरण है।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

8. **कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय** :- कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित समूहों- अनुसूचित जाति/ जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

9. **लक्ष्मीबाई समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना(2007)** :- यह योजना 18 वर्ष से अधिक परंतु 65 वर्ष से कम आयु सीमा की विधवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 60,000.00 हजार रुपये से अधिक न हो, को 200.00 प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। पेंशन का भुगतान डाकघर के बचत खाता के माध्यम से किया जाता है। जिला पदाधिकारी के स्थान पर अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृति प्राधिकार बनाया गया है।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निशक्ता निदेशालय))

10. **इन्दिरा आवास योजना** :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्यों तथा गैर-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण लोगों को एकमुश्त वित्तीय सहायता 45000/- रुपये नगद देकर आवसीय इकाइयों के निर्माण/ उन्नयन में मदद करना है।

(ग्रामीण विकास विभाग)

11. **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना** :- योजना का उद्देश्य शहरी निर्धनों को स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा सेवेतन रोजगार (Wage Employment) सृजन हेतु उत्पादन परिसम्पतियों का निर्माण करना है। इस योजना की दो विशेष कार्यक्रम हैं - शहरी राजेगार कार्यक्रम एवं शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। यह योजना 01.12.1997 से लागू की गयी है।

(नगर विकास एवं आवास विभाग)

12. **मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना** :- 9वीं कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रति बालिका 2000/- रुपये की राशि साईकिल क्रय के लिए उपलब्ध करायी जाती है। इससे बालिकाओं में आत्मविश्वास जागृत होता है एवं माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने में सहायित होती है।

इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट करना, उनमें आत्मविश्वास भरना, नवीं कक्षा में बालिकाओं का नामांकन, उन्हें विद्यालय में बनाये रखना, छीजन रोकना है। इस योजना का लाभ वर्ग-IX में नामांकित होने वाली तथा उपस्थित रहने वाली सभी बालिकाओं को मिलता है।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

13. **ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम** :-

(क) **संपूर्ण स्वच्छता अभियान**- इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी घरों में शौचालय, सभी विद्यालयों में शौचालय, सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय तथा महिलाओं के लिए आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना है।

(ख) **लोहिया स्वच्छता योजना** :- राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ शौचालय का निर्माण तथा त्वरित गति से ग्रामीण स्वच्छता का आच्छादन प्राप्त करने के उद्देश्य से “लोहिया स्वच्छता योजना” की स्वीकृति प्रदान की गई है। लोहिया स्वच्छता योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ए०पी०एल० परिवार के लिए ऑफ द पीट (सींगल पीट के साथ) मॉडल के 2000/- रुपये की लागत राशि वाले शौचालय के निर्माण हेतु 1500/- रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बी०पी०एल० परिवारों के लिए ओभर दी पीट शौचालय के बदले ऑफ द पीट मॉडल के शौचालय निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ताकि शौचालय दीर्घकाल तक उपयोगी रह सके। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 500/- रुपया अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान इस कार्यक्रम में रखा गया है।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत योजना से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च 50 प्रतिशत अनुमानित है।

(लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)

14. **अन्तर्जातीय विवाह योजना** :- हिन्दू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अन्तर्जातीय विवाह करनेवाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह करने वाली महिला को 25,000 रुपये राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

15. **बालिकाओं के लिए हुनर योजना** :- मुस्लिम अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति के बालिकाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु ‘हुनर’ नामक योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसमें सात व्यावसायिक ट्रेडों में 6 माह से लेकर एक वर्ष का निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

16. **स्वयंसिद्धा कार्यक्रम (केन्द्र प्रायोजित योजना)** :- महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिरण हेतु राज्य के 61 प्रखंडों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर आय उत्पादक कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का कार्यान्वयन महिला विकास निगम के द्वारा किया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय))

17. **नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एडुकेशन ऐट एलीमेन्ट्री लेवल (National Programme for Girls Education at Elementary Level)** :- यह योजना अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने हेतु संचालित की जा रही है

(मानव संसाधन विकास विभाग)

18. **ग्रामीण जलापूर्ति योजना** :- नाबार्ड के तहत 158 अद्द प्रखंड मुख्यालयों में पेय जलापूर्ति हेतु योजना की स्वीकृति नाबार्ड से प्राप्त हुई है। इन पेयजलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 40 प्रतिशत अनुमानित है।

(लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)

19. **मूक बधिर विद्यालय एवं कर्मशाला का संधारण** :- राज्य में मूक बधिर छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा एवं आवास हेतु 5 मूक बधिर विद्यालय यथा पटना (बालक एवं बालिका), दरभंगा, मुंगेर एवं भागलपुर में संचालित है जिसमें अध्ययनरत छात्रों की मुफ्त शिक्षा, आवास, भोजन, वस्त्र तथा चिकित्सीय सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाती है। पटना, भागलपुर एवं जिला में संचालित तीन नेत्रहीन विद्यालय है।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निशक्ता निदेशालय))

20. **राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय गृह** :- उत्तर रक्षा गृह, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 44 के अंतर्गत संचालित है जिसका मुख्य उद्देश्य बाल गृह एवं विशेष गृह से निकलने वाली बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनका पुनर्वास करना है। पुनः बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2003 के नियम 36 के अनुसार उत्तर रक्षा गृह में रह रहे आवासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाता है। 10 पर्यवेक्षण गृह, तीन बालगृह, एक विशेष गृह और दो उत्तररक्षा गृह संचालित है।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

21. **मध्य विद्यालय की छात्राओं का परिभ्रमण** :- इस योजना अन्तर्गत मध्य विद्यालय में नामांकित छात्र/ छात्राओं को वर्ष में एक बार शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में छात्राओं को प्राथमिकता दी जाती है।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

22. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** :- इसके अन्तर्गत सीमावर्ती प्रखण्डों में बालिकाओं को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए क्षेत्र आधारित व्यवसायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम “ज्ञान ज्योति” संचालित की जा रही है।

(योजना एवं विकास विभाग)

23. **बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना** :- राज्य के 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रतिमाह रु० 200/- पेंशन की राशि के माध्यम से राहत पहुँचाना । वैसे निःसहाय विकलांग जो बिहार के वासी हों या आवेदन की तिथि से कम से कम 10 वर्ष पूर्व से रह रही हो । पेंशन का भुगतान रु० 200/-प्रतिमाह प्रति पेंशनधारी डाकघर बचत बैंक खाता में जमा के माध्यम से किया जायेगा । जिला पदाधिकारी के स्थान पर अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृति प्राधिकार बनाया गया है ।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निशक्तता निदेशालय))

24. **राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना** :- इसके अधिन 60 से 64 आयु वर्ष के ऐसे गरीब जिनके वार्षिक आय ग्रामिण क्षेत्र में 5000/- रु० एवं शहरी क्षेत्र में 5500/- रु० से अधिक नहीं है, वैसे निःसहाय वृद्ध जो बिहार के वासी हों या आवेदन की तिथि से कम से कम 10 वर्ष पूर्व से रह रही हो । पेंशन का भुगतान रु० 200/- प्रतिमाह प्रति पेंशनधारी डाकघर बचत बैंक खाता में जमा के माध्यम से किया जायेगा ।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निशक्तता निदेशालय))

25. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना** :- सभी बी०पी०एल० परिवार के 18 से 64 वर्ष आयु वर्ग के सदस्य की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के रूप में एक मुश्त 10 हजार रुपये से राहत पहुँचाना । अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दावा स्वीकृति के उपरांत 10 हजार रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है ।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निशक्तता निदेशालय))

26. **नियमित टीकाकरण कार्यक्रम** :- इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य भर में टीका द्वारा बचाव वाली बीमारियों जैसे टेटनस, काली खाँसी, डिप्थीरिया, पोलियो एवं मीजल्स (खसरा) के टीकाकरण कार्यक्रम को सभी बच्चों तक पहुँचाना ।

(स्वास्थ्य विभाग)

27. **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना** :- इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की छात्र को जो बिहार के स्थायी निवासी है तथा जिन्होंने प्रथम श्रेणी से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की है, को आगे की पढ़ाई चालू रखने हेतु एक मुश्त रु० 10000/- हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिससे की वे अपने आगे की पढ़ाई विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों इत्यादि की फीस, किताब/कॉपी एवं अन्य खर्च आदि का वहन कर सकें ।

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

28. **मुस्लिम परित्यक्ताओं को वित्तीय सहायता संबंधी योजना** :- इस योजना के अन्तर्गत मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को स्वरोजगार हेतु रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

29. **मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना** :- इस योजना का उद्देश्य छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रति छात्रा ₹0 10000/- की राशि दी जायेगी, जिससे कि वे अपनी आगे की पढ़ाई के क्रम में विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं आदि की फीस, आवासीय खर्च, किताब, कॉपी इत्यादि पर होने वाले खर्च का वहन कर सकें । इस योजना का लाभ बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को ही मिलेगा ।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

30. **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधा वृत्ति योजना** :- इस योजना का उद्देश्य राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थी, जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, लाभान्वित होंगे । इसमें प्रति विद्यार्थी रुपये 10000/- की राशि मेधावृत्ति के रूप में दी जाएगी । इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों द्वारा अपनी आगे की पढ़ाई के क्रम में विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं आदि की फीस, आवासीय खर्च, किताब, कॉपी इत्यादि पर होने वाले खर्च पर किया जा सकेगा ।

(पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)

31. **औजार योजना** - हुनर योजना के अंतर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले 24000 मुस्लिम अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति के बालिकाओं को टूल कीट हेतु 2500 रुपये प्रति बालिका उपलब्ध कराया जायेगा ।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

32. **दुलार रणनीति योजना (राज्य योजना)** - आई0सी0डी0एस0 योजना के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता को प्रभावशाली ढंग से सृष्टि करने हेतु यूनिसेफ के सहयोग से राज्य के सभी 38 जिलों में दुलार रणनीति योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है । दुलार रणनीति योजना के तहत जिला समन्वय समिति, जिला चलन्त प्रबोधन एवं प्रशिक्षण दल, प्रखंड समन्वय समिति की बैठक के अतिरिक्त संकुल स्तरीय प्रशिक्षण एवं ग्राम सम्पर्क अभियान के माध्यम से समुदाय में जागरूकता पैदा की जाती है ।

(समाज कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0))

33. **सबला कार्यक्रम** - राज्य के 12 जिलों यथा पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, प0 चम्पारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बांका एवं मुंगेर में किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए “सबला” कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसके तहत किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जायेगा। सभी जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सर्वेक्षण का कार्य किया गया है।

(समाज कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0))

34. **बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना(जीविका)** - यह परियोजना (जीविका) विश्व बैंक के सहयोग से बिहार राज्य ग्रामीण जिविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (बी0आर0एल0पी0एस0) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाना है। यह परियोजना छः जिलों यथा नालन्दा, गया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं पूर्णियाँ के 44 प्रखंडों में कार्यान्वित की जा रही है।

(वित्त विभाग)



